‘कार्डियक टावर में हृदय रोगों का विश्वस्तरीय उपचार मिलेगा’

मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने बेहतर चिकित्सा सुविधा को सर्वोच्च प्राथमिकता बताया

जयपुर, 17 जनवरी। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि चिकित्सक संवेदनाओं के साथ कर्तव्य का निर्वहन करते हुए स्वस्थ राजस्थान की हमारी संकल्पना को साकार करने में अहम भागीदारी निभा रहे हैं। प्रदेशवासियों को बेहतर चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध कराना हमारे लिए सर्वोच्च प्राथमिकता है। हम ‘आपणो स्वस्थ राजस्थान’ की संकल्पना पर काम करते हुए, उत्कृष्ट एवं खुशहाल राजस्थान बनाने के लिए प्रतिबद्ध हैं।

शर्मा शुक्रवार को मुख्यमंत्री कार्यालय में चिकित्सा एवं स्वास्थ्य क्षेत्र से जुड़े संस्थानों के प्रतिनिधियों के साथ बजट पूर्व संवाद को संबोधित कर रहे थे।

शर्मा ने कहा कि प्रदेश की चिकित्सा सुविधाओं को बेहतर बनाने के लिए आमजन को मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य योजना (मा) के माध्यम से 25 लाख रुपये तक का कैशलेस उपचार, कैंसर जैसी गंभीर बीमारियों के उपचार के लिए 73 डे केयर पैकेज, शिशुओं के उपचार के लिए 419 पीडियाट्रिक पैकेज, 8 लाख वरिष्ठ नागरिकों के लिए कैशलेस उपचार जैसी सुविधाएं दी जा रही हैं। साथ ही, मा वाउचर योजना से गर्भवती महिलाओं को अधिकृत निजी सोनोग्राफी केन्द्रों से सोनोग्राफी कराने की निशुल्क सेवा दी जा रही है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि लोगों का हैल्थ रिकॉर्ड डिजीटली सुरक्षित रखने के लिए प्रदेश में करीब 6 करोड़ लोगों की आभा आईडी बनाई जा चुकी है। शर्मा ने कहा कि राज्य सरकार ने चिकित्सकों, नर्सिंग एवं पैरामेडिकल स्टाफ के करीब 21 हजार पदों पर नियुक्ति दी हैं।

चिकित्सा विभाग में लगभग 50 हजार पदों पर भर्ती का लक्ष्य है, जिसे हम जल्द पूरा करेंगे।

मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने चिकित्सा एवं स्वास्थ्य क्षेत्र से जुड़े संस्थानों के प्रतिनिधियों के साथ बजट पूर्व संवाद को संबोधित किया। उन्होंने कहा हम ‘‘आपणो स्वस्थ राजस्थान’’ की संकल्पना पर काम करते हुए उत्कृष्ट एवं खुशहाल राजस्थान बनाने के लिए प्रतिबद्ध हैं।

- **चिकित्सा एवं स्वास्थ्य क्षेत्र विशेषज्ञों तथा संस्थानों के प्रतिनिधियों के साथ बजट पूर्व संवाद कार्यक्रम में चर्चा की।**

मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार प्रदेश में विश्वस्तरीय मेडिकल सुविधाएं उपलब्ध करवा रही है। इसी क्रम में, जयपुर में जल्द ही आधुनिकतम सुविधाओं से युक्त कार्डियक टावर की सुविधा मिलेगी, जहां हृदय रोगों का विश्वस्तरीय उपचार उपलब्ध होगा।

साथ ही, प्रतापनगर स्थित आरयूएचएस अस्पताल को एम्स की तर्ज पर रिम्स के रूप में विकसित किया जा रहा है।

चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री गजेन्द्र सिंह खींवसर ने कहा कि मुख्यमंत्री के नेतृत्व में स्वास्थ्य सेवाओं के विस्तार में लगातार निर्णय लिए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि ‘मा’ योजना से आमजन को बहुत लाभ मिल रहा है।

इस दौरान, मुख्य सचिव सुधांश पंत, अतिरिक्त मुख्य सचिव वित्त अखिल अरोरा, प्रमुख सचिव मुख्यमंत्री कार्यालय आलोक गुप्ता, प्रमुख शासन सचिव चिकित्सा एवं स्वास्थ्य गायत्री ए. राठौड़ सहित, विभागीय अधिकारी एवं महावीर विकलांग समिति, महावीर कैंसर हॉस्पिटल, नारायणा हॉस्पिटल, आईएमए राजस्थान ब्रांच, राजस्थान डेंटल काउंसिल, मारवाड़ मेडिकल कॉलेज, आरयूएचएस, आरोग्य भारती, रेडक्रॉस सोसायटी, नारायण सेवा संस्थान के प्रतिनिधियों सहित विभिन्न चिकित्सा एवं स्वास्थ्य से जुड़े संस्थानों के प्रतिनिधि मौजूद थे।

बंबई के मुख्य न्यायाधीश अब दिल्ली के मुख्य न्यायाधीश बने

मुंबई, 17 जनवरी। बंबई उच्च न्यायालय के 47वें मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति देवेन्द्र कुमार उपाध्याय शुक्रवार को अपने पद से स्थानांतरित हुए और वह जल्द ही दिल्ली उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश का पद संभालेंगे।

गत 13 जनवरी को भारत सरकार के संयुक्त सचिव जगन्नाथ श्रीनिवासन ने अधिसूचना जारी की थी कि संविधान के अनुच्छेद 222 के खंड (1) द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करते हुए, राष्ट्रपति ने, देश के मुख्य न्यायाधीश से परामर्श करने के बाद, न्यायमूर्ति देवेन्द्र कुमार उपाध्याय, मुख्य न्यायाधीश,

- **न्यायमूर्ती देवेन्द्र कुमार उपाध्याय के स्थान पर तेलंगाना के मुख्य न्यायाधीश आलोक अराधे बंबई में पदभार संभालेंगे।**

बंबई उच्च न्यायालय को दिल्ली उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में स्थानांतरित किया है और उन्हें दिल्ली उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश का पद संभालने के लिए कहा गया है।

न्यायमूर्ति उपाध्याय का दिल्ली उच्च न्यायालय में स्थानांतरण उच्चतम न्यायालय कॉलेजियम की सिफारिश के एक हफ्ते बाद हुआ है। तेलंगाना उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश आलोक अराधे बंबई उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश का पदभार संभालेंगे।

यूजीसी ने राजस्थान के 14 विश्वविद्यालयों को डिफॉल्टर घोषित किया

छात्रों को यह भय है कि डिफॉल्टर विश्वविद्यालयों की मान्यता रद्द हो गई तो उनकी डिग्री का क्या होगा

बीकानेर, 17 जनवरी (कासं)। यूजीसी द्वारा राजस्थान के 14 विश्वविद्यालयों को डिफॉल्टर घोषित किया गया है। इनमें सात सरकारी विश्वविद्यालय भी शामिल हैं। विश्वविद्यालयों को डिफॉल्टर घोषित करने के बाद, इनकी मान्यता खोने का खतरा है, जिससे छात्रों की डिग्रियां प्रभावित होने की आशंका है।

यूजीसी द्वारा डिफॉल्टर विश्वविद्यालयों की सूची में राज्य के निम्न 14 विश्वविद्यालय शामिल हैं- जयनारायण व्यास विवि. जोधपुर, महाराजा गंगासिह यूनिवर्सिटी बीकानेर, राजस्थान यूनिवर्सिटी ऑफ वेटरनरी एण्ड ऐनिमल साइंस बीकानेर, स्वामी केशवानंद राजस्थान एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी बीकानेर, जोधपुर नेशनल यूनिवर्सिटी जोधपुर, विश्वकर्मा स्किल यूनिवर्सिटी जयपुर, कोटा की यूनिवर्सिटी ऑफ कोटा, एपेक्स यूनिवर्सिटी जयपुर, मौलाना आजाद यूनिवर्सिटी जोधपुर, प्रताप यूनिवर्सिटी जयपुर, पेसिफिक मेडिकल यूनिवर्सिटी उदयपुर, श्री कल्लाजी वैदिक विवि. निम्बाहेडा चित्तौड़गढ़, बाबा आम्टे दिव्यांग यूनिवर्सिटी जयपुर, जय मीनेश आदिवासी यूनिवर्सिटी कोटा आदि शामिल हैं।

- **इन दिनों बीपीएड के फार्म भरे जा रहे हैं। कई छात्रों के अभिभावक शिक्षा निदेशालय में अधिकृत जानकारी लेने के लिये घूम रहे थे। मान्यता रद्द हुई तो आवेदन शुल्क का क्या होगा।**

इन विश्वविद्यालयों के डिफॉल्टर घोषित होने से छात्र-छात्राओं में भय का माहौल है। उधर बीपीएड के इन दिनों फार्म भरे जा रहे हैं। शुक्रवार को बीपीएड के फार्म भरने वाले कई छात्र शुक्रवार को शिक्षा निदेशालय में असमंजस की स्थिति में अधिकारियों से इस बारे में जानकारी लेते देखे गए। कई छात्रों के अभिभावक भी निदेशालय में इस उम्मीद के साथ घूम रहे थे कि उन्हें यह अधिकृत जानकारी मिल जाए कि डिफॉल्टर विश्वविद्यालय में आवेदन शुल्क जमा करायें या नहीं। अभिभावकों व छात्रों का यह भी कहना था कि डिफॉल्टर विश्वविद्यालय से आवेदन करने वाले कोर्स/डिग्री की अगर मान्यता नहीं है, तो ऐसी स्थिति में उनके द्वारा जमा कराया गया आवेदन शुल्क भी वापस नहीं होगा। इससे उनका दोहरा नुकसान होगा।

बताया जा रहा है कि नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति में सभी विश्वविद्यालयों को लोकपाल की नियुक्ति करना अनिवार्य किया गया है, ताकि छात्रों के मामलों को गंभीरता से सुनकर उनका हल निकाला जा सके। लोकपाल की नियुक्ति के लिए भी कई प्रावधान किये गये हैं। इनमें सेवानिवृत न्यायाधीश को लोकपाल नियुक्त करने सहित अन्य प्रावधान शामिल हैं।

डिफॉल्टर विश्वविद्यालयों को यूजीसी की ओर से चेतावनी जारी की गई है, ताकि वे जल्द से जल्द लोकपाल नियुक्त करें। इस पूरे मामले में, राज्य सरकार, शिक्षा विभाग सहित संबंधित प्रशासनिक मशीनरी द्वारा कोई दिशा निर्देश या स्पष्टीकरण जारी नहीं किया गया है। इससे राज्य के हजारों छात्र-छात्राओं के समक्ष असमंजस व भय का माहौल है। यूजीसी की ओर से, राज्य के तीन विश्वविद्यालयों को पीएचडी पाठयक्रमों को प्रवेश के लिए पांच साल के लिए अपात्र घोषित किया है। ये ओपीजेएस विश्वविद्यालय चूरू, सनराइज विवि. अलवर तथा सिंघानिया विवि. झुंझनूं शामिल हैं।

सिंडीकेट बैंक...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

आरोपी भरत बंब की अटैच की गई प्रॉपर्टी पर पूर्व में दिए गए स्टे को हटाते हुए केन्द्र सरकार की याचिका खारिज कर दी थी। केन्द्र सरकार के एएसजी आरडी रस्तोगी ने बताया कि इस मामले में ईडी ने भरत बंब की फर्म मैसर्स उदयपुर एंटरटेंमेंट वर्ल्ड प्रा.लि. की प्रॉपर्टी को अटैच करने की कार्रवाई की थी। ईडी की इस कार्रवाई को किसी अन्य पक्षकार ने मामले के तथ्य छिपाते हुए एनसीएलटी मुंबई के समक्ष चुनौती दी, जिस पर एनसीएलटी मुंबई ने ईडी की अटैच कार्रवाई को ही रद्द कर दिया। एनसीएलटी के इस आदेश को केन्द्र सरकार ने हाईकोर्ट की एकलपीठ में चुनौती दी। एकलपीठ ने 6 जुलाई 2023 को एनसीएलटी के आदेश पर स्टे दे दिया, लेकिन बाद में एकलपीठ ने 18 सितंबर 2024 के आदेश से इस स्टे को हटाते हुए याचिका को खारिज कर दिया। केन्द्र सरकार की ओर से कहा गया कि मामले में किसी अन्य पक्ष ने केस के तथ्यों को छिपाया है, जो गलत है। याचिका पर सुनवाई करते हुए अदालत ने मामले में यथा स्थिति के आदेश देते हुए फैसला सुरक्षित रख लिया है।

ठेकेदार पदमचंद ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

में है और उसे मूल प्रकरण में पहले ही जमानत दी जा चुकी है। इसलिए उसकी विशेष अनुमति याचिका को स्वीकार कर उसे जमानत पर रिहा किया जाए। इसका विरोध करते हुए ईडी की ओर से कहा गया कि याचिकाकर्ता आरोपी पीएचईडी टेंडर घोटाले में करीब 136.41 करोड़ रुपए की बड़ी राशि के गबन में शामिल है। वहीं, सह आरोपी पीयूष जैन और संजय बड़ाया की तुलना में याचिकाकर्ता आरोपी पर लगाए गए आरोप गंभीर प्रकृति के हैं। दोनों पक्षों की बहस सुनने के बाद, अदालत ने आरोपी को जमानत पर रिहा करने के आदेश दिए हैं।

गौरतलब है कि जल जीवन मिशन में फर्जी दस्तावेज से करोड़ों रुपए के टेंडर लेने के मामले में एसीबी ने साल 2023 में कार्रवाई करते हुए, श्याम ट्यूबवेल कंपनी के संचालक पदमचंद जैन, उसके बेटे पीयूष जैन सहित अन्य के खिलाफ मामला दर्ज किया था। वहीं, बाद में ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग मामले में अलग से प्रकरण दर्ज कर गत 13 जून को पदमचंद जैन को गिरफ्तार किया था।

कंगना रानौत ने...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

गांधी के काफी नजदीक दिखाये गये हैं। वे इंदिरा गांधी से वादा कर रहे है कि वे, पृथक सिक्ख राज्य के बदले में, कांग्रेस को वोट दिलायेंगे। यह दृश्य ‘‘आपत्तिजनक’’ एवं सिक्ख समुदाय की छवि को क्षति पहुँचाने वाला था।

एसजीपीसी की दलील यह है कि भिन्डरवाले का इससे कोई सम्बन्ध नहीं है तथा वे उस समय परिदृश्य में कहीं थे ही नहीं। वे ‘‘दमदमी टकसाल’’ के प्रमुख भी, कर्तार सिंह के निधन के बाद, 1977 में बने थे।

अजायब सिंह ने कहा, ‘‘सिक्खों द्वारा किये गये शान्तिपूर्ण विरोध को फिल्म का हिस्सा बिल्कुल नहीं बनाया गया। और तो और, भिन्डरवाले, जो उस समय परिदृश्य में कहीं थे ही नहीं, को नकारात्मक स्वरुप में सिक्ख-प्रतिनिधि के रूप में प्रस्तुत किया गया। यह सिक्खों की छवि को खराब करने की राजनीति - प्रेरित कोशिश है, जिसके अन्तर्गत, सिक्खों को शान्ति-भंजक तथा राष्ट्र-विरोधी के रूप में चित्रित किया गया है।’’

उन्होंने कहा कि तथ्य यह है कि पंजाब के नेताओं, विशेष रूप से शिरोमणि अकाली दल के नेताओं, जिनमें प्रकाश सिंह बादल, गुरुचरण सिंह तथा अन्य लोग शामिल थे, ने इन्दिरा गांधी के आपातकाल लगाने के निर्णय का शान्तिपूर्ण विरोध किया था, जिसके फलस्वरुप वे लोग गिरफ्तार कर लिये गये थे।

इससे पूर्व, एसजीपीसी फिल्म-निर्माताओं को कानूनी नोटिस भेज चुका था। इन नोटिसों के प्रत्युत्तर में उन्होंने कहा था कि आपत्तिजनक हिस्से हटा दिये जायेंगे, लेकिन इस सम्बन्ध में कोई आधिकारिक पत्राचार नहीं हुआ था।

उन्होंने कहा, ‘‘एसजीपीसी को विश्वास में लिया ही नहीं गया तथा सिक्ख संगठन का कोई भी प्रतिनिधि सैंसर बोर्ड में नियुक्त नहीं किया गया, जो हमारी आपत्तियों से बोर्ड को अवगत करा सके। इसके अलावा, फिल्म के फायनल प्रिन्ट के बारे में कोई संकेत नहीं दिये गये।

सिक्खों के इस संगठन की कार्यकारिणी एवं साधारण सभा में 28 सितम्बर, 2024 को फिल्म के खिलाफ एक प्रस्ताव भी पारित हुआ था, जिसमें इस पर रोक लगाने की मांग की गई थी।

एसजीपीसी ने सूचना-प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव तथा ‘‘सैन्ट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन’’ के चेयरपर्सन प्रसून जोशी को भी पत्र लिखे हैं तथा फिल्म की तोड़-मरोड़ कर प्रस्तुत की गई विषयवस्तु को हटाने के लिये कहा है। परिणामस्वरुप, 6 सितम्बर को होने वाली रिलीज टाल दी गई थी। अकाल तख्त के जत्थेदार ज्ञानी रघुवीर सिंह ने उस समय इसे ‘‘सिक्ख-विरोधी फिल्म’’ कहा था तथा इसकी रिलीज पर रोक लगाने की माँग की थी।

कोटा में जेईई मेन की तैयारी कर रहे छात्र ने आत्महत्या की

उड़ीसा के छात्र ने अंबेडकर नगर की पीसी में फाँसी लगाकर आत्महत्या की

कोटा, 17 जनवरी (निसं)। कोटा में इंजीनियरिंग प्रवेश परीक्षा, जॉइंट एंट्रेंस एग्ज़ाम मेन की तैयारी कर रहे उड़ीसा के एक छात्र ने फांसी का फंदा लगाकर आत्महत्या कर ली। छात्र विज्ञान नगर थाना इलाके के अंबेडकर नगर के एक पीजी में रहता था। सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची और छात्र के शव को फंदे से उतारकर अस्पताल की मोर्चरी में शिफ्ट करवा दिया। घटना के संबंध में उसके परिजनों को सूचना दे दी गई है। परिजनों के आने के बाद ही शव का पोस्टमार्टम और अन्य प्रक्रिया की जाएगी।

फिलहाल, आत्महत्या के कारण सामने नहीं आए हैं। छात्र के कमरे को बंद कर दिया गया है। परिजनों के सामने जांच की जाएगी। विज्ञान नगर थाना अधिकारी मुकेश मीणा ने बताया कि छात्र उड़ीसा के मयूरगंज का रहने वाला था और कोटा में रह कर पढ़ाई कर रहा था। अस्पताल ले जाने पर चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया।

- **गुरुवार की रात टिफिनवाला आया तो छात्र ने दरवाजा नहीं खोला तब टिफिनवाला पास के हॉस्टल से कुछ छात्रों को लेकर आया। तेज धक्का देने पर कमरे का दरवाजा खुला तो छात्र मृत अवस्था में मिला।**

कोचिंग संस्थान के प्रतिनिधि ने बताया कि उनकी पड़ताल में सामने आया है कि छात्र बीते 1 साल से क्लास में नहीं आ रहा था। उसने 2 साल पहले कोचिंग संस्थान में एडमिशन लिया था और 11वीं के साथ जेईई की तैयारी की थी। इसके बाद 12वीं में उसने क्लासेज अटेंड नहीं की हैं। उसका अकांउट भी इनएक्टिव है। मकान मालिक राजेन्द्र जैन का कहना है कि उनके यहां पर अप्रैल 2024 से यह छात्र रहता था। गुरुवार रात को जब टिफिन वाला आया, तब छात्र ने कमरा नहीं खोला, इसके बाद टिफिन सर्विस वाला पास के हॉस्टल से कुछ बच्चों को लेकर आया और दरवाजे को तेज धक्का दिया। कमरे में छात्र मृत अवस्था में मिला। इस संबंध में रात में ही पुलिस को सूचना दे दी गई थी। हॉस्टल में 17 रूम हैं, लेकिन 4 में ही बच्चे रह रहे हैं। बाकी पूरा खाली पड़ा हुआ है। मुख्य अग्निशमन अधिकारी राकेश व्यास ने बताया कि प्रशासन, पुलिस, नगर निगम के अग्निशमन और एफएसएल टीम ने जांच की है। जांच में काफी कमियां मिली हैं। अग्निशमन उपकरणों की उपलब्धता नहीं थी। साथ ही कमरों में हैंगिंग डिवाइस भी नहीं था। इसके बाद हॉस्टल को सीज किया गया है। इस तरह के अन्य पीजी की भी जांच की जाएगी।

ज्ञातव्य है कि जॉइंट एंट्रेंस एग्जाम 22 जनवरी से शुरू होने वाला है और इसकी तैयारी कर रहे दो छात्र इस साल पहले भी आत्महत्या कर चुके हैं। यह साल का तीसरा मामला है।

एक छात्र बिहार और दूसरा मध्यप्रदेश का निवासी था। इन घटनाओं के बाद ही जिला प्रशासन ने भी जेईई एग्ज़ाम को देखते हुए इस परीक्षा में शामिल हो रहे कैंडीडेट्स से वन टू वन मॉनिटरिंग की बात कही थी। इसको लेकर फील्ड में सर्वे भी किया गया था। साथ ही, सभी हॉस्टल्स और पीजी संचालकों को सचेत रहने के लिए भी हिदायत दी गई थी।

सुप्रीम कोर्ट ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

है। ज्ञातव्य है कि दिल्ली उच्च न्यायालय ने आप सरकार को आचार संहिता की ओर ध्यान दिये बिना, 5 जनवरी से पहले एमओयू पर हस्ताक्षर करने के आदेश दिये थे।

उच्च न्यायालय का यह आदेश उस समय आया, जब न्यायालय सरकारी अस्पतालों में चिकित्सा इन्फ्रास्ट्रक्चर से संबंधित 2017 की पीआईएल पर स्वैच्छा से विचार कर रहा था।

आदेश में कहा गया था कि जब 33 राज्य एवं केन्द्रशासित प्रदेश इस स्कीम को लागू कर चुके हैं, तो दिल्ली में पीएम-एबीएचआईएम का लागू न होना न्यायोचित नहीं होगा।

पूर्व सीएम चंपई सोरेन अस्पताल में भर्ती

जमशेदपुर, 17 जनवरी। झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री चंपई सोरेन की तबीयत शुक्रवार को अचानक बिगड़ गई, जिसके बाद उन्हें जमशेदपुर स्थित टाटा मेन हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया। सरायकेला विधानसभा सीट से भाजपा के विधायक चंपई सोरेन ने सोशल मीडिया पर अपनी तबीयत की जानकारी दी और कहा कि डॉक्टरों ने चिंता की कोई बात नहीं बताई है।

चंपई सोरेन पिछले कुछ दिनों से अस्वस्थ हैं। सोरेन को पेट की बीमारी के कारण हॉस्पिटल के इमरजेंसी वार्ड में भर्ती किया गया।

सोरेन ने सोशल मीडिया मंच ‘एक्स’ पर एक पोस्ट में कहा, ‘‘स्वास्थ्य संबंधी जटिलताओं के कारण मुझे आज सुबह टाटा मेन हॉस्पिटल (जमशेदपुर) में भर्ती कराया गया है।

मुम्बई-अहमदाबाद...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

प्रतिशत ब्याज दर पर और 20 साल की मोरेटोरियम अवधि के साथ प्रदान किया जा रहा है। अगर यह तर्क सही भी हो, तो भारत की एक अन्य समस्या यह है कि जापान शिंकान्सेन ट्रेनों की एक नई श्रृंखला विकसित कर रहा है और सूत्रों के अनुसार, वह भारत को यह नया संस्करण देने को तैयार नहीं है। नया संस्करण बनाने में किसी भी स्थिति में लगभग डेढ़ साल का समय लगेगा। इसलिए, यदि भारत अगले साल उच्च गति परीक्षण करने की योजना को आगे बढ़ाना चाहता है, तो उसे कुछ रैक्स ‘‘किराए पर’’ प्राप्त करने होंगे।

31 जनवरी से ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू संबोधित करेंगी। इसके बाद आर्थिक सर्वेक्षण पेश किया जाएगा। इसके बाद, एक फरवरी को वित्त मंत्री सीतारमण लगातार अपना आठवां बजट पेश करेंगी।

सिद्धारमैया व शिवकुमार के बीच कर्नाटक ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

में पूरे होने पर शुरु होगा। उन्होंने कहा, ‘‘यह समय 2025 दिसंबर में शुरु होगा। उसके पहले, नेतृत्व परिवर्तन की कोई बात करना बेमानी है।’’

सूत्रों ने कहा कि हाईकमान शायद यथास्थिति को बिगाड़ना नहीं चाहेगा, क्योंकि सिद्धारमैया को कांग्रेस विधायक दल के बहुमत के साथ-साथ कई शक्तिशाली मंत्रियों और अल्पसंख्यक, दलित व ओ.बी.सी. नेताओं का समर्थन प्राप्त है। एक सूत्र ने कहा, ‘‘यह मान लें कि नए नेता के बारे में कांग्रेस विधायक दल निर्णय लेगा, फिर भी शिवकुमार की संभावना कम है।’’ शिवकुमार को प्रभावशाली वोकलिगा के एक वर्ग और लिंगायत विधायकों के साथ-साथ उत्तर कर्नाटक क्षेत्र के कुछ मंत्रियों का समर्थन प्राप्त है। वर्ष 2024 की दूसरी छमाही के दौरान, उप मुख्यमंत्री द्वारा विधायकों के बीच अपना समर्थन बढ़ाने की कोशिशों की खबरें आई थीं।

लोकसभा चुनाव 2024 में कांग्रेस के असंतोषजनक प्रदर्शन ने शिवकुमार की सौदेबाजी की शक्ति को कम कर दिया है। शिवकुमार के प्रभाव क्षेत्र, वोकलिगा प्रभुत्व वाले दक्षिण कर्नाटक क्षेत्र में, 9 सीटों पर कांग्रेस किसी भी तरह का प्रभाव छोड़ने में विफल रही। अब सिद्धारमैया कैंप भी कांग्रेस हाई कमान के इस प्रस्ताव की बात कर रहा है कि लोकसभा चुनावों के छः महीनों के अंदर नया पी.सी.सी. अध्यक्ष नियुक्त किया जाए। इस बुधवार को जरकीहोली ने यह बात कही और स्थाई अध्यक्ष नियुक्त करने की मांग की। उन्होंने तर्क दिया कि मंत्रीगण पार्टी के काम के लिए अपने आपको समर्पित नहीं कर सकते।

गुरुवार को, गृह मंत्री जी. परमेश्वर ने पी.सी.सी. नेतृत्व परिवर्तन की मांग का समर्थन करते हुए कहा कि यह मांग वैध है, क्योंकि शिवकुमार के पास मंत्री के रूप में दो बड़े विभाग, बेंगलुरु विकास, और जल संसाधन हैं। उन्होंने कहा, ‘‘जब मैं राज्य पार्टी अध्यक्ष था, तो मुझे भी इस स्थिति का सामना करना पड़ा था, मैंने पार्टी को प्राथमिकता दी।’’ उन्होंने कहा कि राज्य कांग्रेस के नेता इस विषय पर आलाकमान के फैसले का इंतज़ार कर रहे हैं।

सूचना सहायक ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

में से प्रश्न संख्या 125 के तकनीकी होने के कारण उसे नए सिरे से देखा जाए। इस पर अदालत ने आगामी सुनवाई पर अदालत के सहयोग के लिए विशेषज्ञ को बुलाया है। याचिका में अधिवक्ता आरपी सैनी ने बताया कि 16 जनवरी 2023 को कर्मचारी चयन बोर्ड ने सूचना सहायक के 2730 पदों पर भर्ती के लिए विज्ञापन जारी किया। इसके बाद पदों की संख्या को बढ़ाकर 3415 कर दिया। भर्ती की लिखित परीक्षा 21 जनवरी 2024 को हुई और प्रथम उत्तर कुंजी 2 फरवरी 2024 को जारी हुई। इसके बाद अभ्यर्थियों से आपत्तियां मांगी गई और एक जुलाई 2024 को परिणाम घोषित कर उत्तर कुंजी भी जारी की गई। इसमें करीब 10 प्रश्नों के उत्तर सही होते हुए भी बदल दिए गए। इसके अलावा, कुछ प्रश्नों को डिलीट भी कर दिया गया। इसके चलते प्रार्थी के भर्ती में कम अंक आए। इसलिए विवादित प्रश्न-उत्तरों की जांच के लिए विशेषज्ञ कमेटी बनाई जाए। वहीं, बोर्ड की ओर से नियुक्तियां दी गई तो भर्ती में तीसरे पक्षकार के भी अधिकार सृजित हो जाएंगे। इसलिए भर्ती में नियुक्ति पत्र जारी करने पर रोक लगाई जाए।

पिछली सरकार में फर्जी डिग्रियों से मिली थी, कई लोगों ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

किया। इस मार्कशीट में गणपतलाल को 19 जुलाई 2022 को उत्तीर्ण बताया था, जो कि आवेदन फॉर्म दाखिल करने से पूर्व का है। मजेदार बात यह है कि गणपतलाल ने आवेदन और दस्तावेज सत्यापन के समय अलग-अलग यूनिवर्सिटी का जिक्र किया। उसने चारो सेमेस्टर की अंकतालिका में रोल नंबर भी एक ही बताये, जबकि, आमतौर पर, किसी विद्यार्थी का यूनिवर्सिटी में एनरोलमेंट नंबर एक हो सकता है, परंतु चारों सेमेस्टर में रोल नंबर एक समान नहीं होता। इससे साफ जाहिर होता है कि उसने ‘बैकडेट’ में फर्जी डिग्री हासिल की है। इस संबंध में कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी (मुख्यालय) माध्यमिक जालौर ने 15 जनवरी 2025 को अपनी रिपोर्ट में साफ टिप्पणी की है। ताज्जुब की बात है कि इस फर्जीवाडे के बावजूद तत्कालीन गहलोत सरकार ने गणपतलाल को वर्ष 2023 में नौकरी दे दी थी।

दूसरे प्रकरण के मुताबिक, अभ्यर्थी विक्रम ने ओ.पी.जे.एस. यूनिवर्सिटी चूरू की फर्जी डिग्री लगाकर शारीरिक शिक्षा अध्यापक की नौकरी हासिल की। उसने 3 जनवरी 2024 को राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय वार्ड नंबर 2, कोलियो की गड़ी होतीगांव में कार्यभार संभाला था। कर्मचारी चयन आयोग और शिक्षा विभाग द्वारा विक्रम के दस्तावेजों की जांच में सामने आया कि, विक्रम ने 22 जुलाई 2022 को आवेदन के समय डी.पी.एड. की डिग्री चूरू की ओ.पी.जे.एस. यूनिवर्सिटी की बताई और रोल नंबर ‘‘आर1939011212’’ बताया और 65 प्रतिशत अंकों के साथ परीक्षा उतीर्ण करना दर्ज किया। बाद में दस्तावेज सत्यापन के समय विक्रम ने इसी यूनवर्सिटी की जो अंकतालिका पेश की, उसमें रोल नंबर ‘‘21बीपीईडी1445’’ था और परीक्षा 74.72 प्रतिशत अंकों के साथ उतीर्ण करना दर्शाया हुआ था।

तीसरे प्रकरण के मुताबिक, अभ्यर्थी राजाराम बेनीवाल ने आर.टी.एम.एन. यूनिवर्सिटी नागपुर और श्री सत्य सांई यूनिवर्सिटी ऑफ टैक्नोलॉजी एंड मेडिकल साइंस सेहोर मध्यप्रदेश की फर्जी डिग्री के बलबूते पर शारीरिक शिक्षक की नौकरी हासिल की थी। उसने 5 अक्टूबर 2023 को राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय रेशमा की ढाणी आलासन में कार्यभार संभाला था। राजाराम ने 21 जुलाई 2022 को आवेदन फॉर्म में बीपीएड की डिग्री आर.टी.एम.एन. यूनिवर्सिटी की बताते हुए रोल नंबर ‘‘246888’’ दर्ज किया था। बाद में दस्तावेज सत्यापन के समय उसने बीपीएड की डिग्री श्री सत्य सांई यूनिवर्सिटी ऑफ टैक्नोलॉजी एंड मेडिकल साइंस सेहोर मध्यप्रदेश की पेश की, जिसमें रोल नंबर ‘‘191009013144’’ अंकित था।

चौथे प्रकरण के मुताबिक, अभ्यर्थी सुरेश कुमार ने बी.पी.एड. कलिंगा यूनिवर्सिटी और जे.एस. यूनिवर्सिटी के फर्जी डिग्रियां पेश करते हुए 19 सितंबर 2023 को राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय जानवी ग्राम में शारीरिक शिक्षक का कार्यभार संभाला था। उसने खुद को 22 जुलाई 2022 को आवेदन फॉर्म में बी.पी.एड. यूनिवर्सिटी का अध्ययनरत छात्र बताते हुए रोल नंबर ‘‘53बीपीईडी11203827’’ बताया था और परिणाम लंबित बताया था। परंतु दस्तावेज सत्यापन के समय सुरेश कुमार ने जे.एस. यूनिवर्सिटी से बी.पी.एड की डिग्री पेश की, जिसमें रोल नंबर ‘‘191330015034’’ अंकित था। यह डिग्री 30 अक्टूबर 2021 को जारी की हुई थी, यानि कि आवेदन फॉर्म दाखिल करने से पूर्व।

पांचवे प्रकरण के मुताबिक, अभ्यर्थी परमेश्वरी विश्नोई ने जे.एस. यूनिवर्सिटी की फर्जी अंकतालिका पेश करते हुए 19 सितंबर 2023 को राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय पाण्डगिरी गांवडी में शारीरिक शिक्षक का कार्यभार संभाला था। उसने 19 जुलाई 2022 को आवेदन दाखिल करते समय खुद को जे.एस. यूनिवर्सिटी से डी.पी.एड. की अध्ययनरत छात्रा बताया और परिणाम लंबित बताते हुए रोल नंबर और प्राप्त अंक प्रतिशत का जिक्र नहीं किया। बाद में दस्तावेज सत्यापन के समय उसने डी.पी.एड. के स्थान पर बी.पी.एड की चतुर्थ सेमेस्टर की डिग्री पेश की, परंतु इसमें 15 अक्टूबर 2022 को परीक्षा उतीर्ण दर्शाया गया था। हालांकि परमेश्वरी ने विभाग को मानवीय भूल होने का हवाला देते हुए राहत की मांग की थी। परंतु कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी (मुख्यालय) माध्यमिक जालौर ने 15 जनवरी 2025 को जो टिप्पणी की है, उसमें इस गलती को मानवीय भूल मानने से मना किया है।

छठवें प्रकरण के मुताबिक, अभ्यर्थी विमला ने 22 जुलाई 2022 को अपना आवेदन फॉर्म भरते हुए बी.पी.एड की डिग्री कलिंगा यूनिवर्सिटी से करना बताया और रोल नंबर ‘‘036493’’ अंकित किया। बाद में दस्तावेज सत्यापन के समय वर्ष 2022 में चतुर्थ सेमेस्टर की परीक्षा उतीर्ण करने की डिग्री पेश की, जिसमें रोल नंबर ‘‘220412257’’ अंकित था। विमला ने इस डिग्री के दम पर 19 सितंबर 2023 को राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय सांवलावास में शारीरिक शिक्षक का कार्यभार संभाला था। हालांकि विमला ने कर्मचारी चयन आयोग और शिक्षा विभाग को डिग्री में रोल नंबर की गड़बड़ी को मानवीय भूल बताया था, परंतु कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी (मुख्यालय) माध्यमिक जालौर ने 15 जनवरी 2025 को जो टिप्पणी की है, उसमें इस गलती को मानवीय भूल मानने से मना किया है।

इस मामले में माध्यमिक शिक्षा विभाग के वरिष्ठ अफसरों से बात करने की कोशिश की गई, परंतु उन्होंने कहा कि इस मामले की जांच अब पुलिस और एस.आई.टी. कर रही है, इसलिए हम कोई टिप्पणी नहीं करना चाहते है। संभव है कि कुछ लोग इस मामले को लेकर अदालत में भी जाएं। चर्चाएं यह भी है कि पिछली सरकार के समय अफसरों की मिलीभगत पर भी अब शिक्षा विभाग के मौजूदा अफसर टिप्पणी करन से बच रहे हैं। सूत्रों का कहना है कि अलवर जिले में भी इसी तरह फर्जीवाडे के कई मामले सामने आये हैं, जिनकी जांच विभाग कर रहा है।

राष्ट्रदूत (एचयूएफ) के लिए मुद्रक एवं प्रकाशक सोमेश शर्मा द्वारा राष्ट्रदूत प्रेस, जी1/63 इंडस्ट्रीयल एरिया फेस प्रथम, जालौर, (राज.) से मुद्रित एवं प्रकाशित। संपादक-राजेश शर्मा, आर.एन.आई. नं. RAJHIN/2006/17286 जयपुर कार्यालय: सुधर्मा एम.आई.रोड, जयपुर। फोन: 2372634, 4103333-34, फैक्स : 0141-2373513, कोटा कार्यालय : पलायथा हाऊस, छत्रपति शिवाजी मार्ग, कोटा। फोन: 2386031, 2386032,फैक्स:0744-2386033, बीकानेर कार्यालय : कुम्भाना हाऊस, हनुमान हत्था, बीकानेर। फोन: 2200660, फैक्स 0151-2527371, उदयपुर कार्यालय: आयड मैन रोड आयड, उदयपुर। फोन: 2413092, फैक्स : 0294-2410146, अजमेर कार्यालय: राष्ट्रदूत भवन, चुंगी नाका के पास, अजमेर। फोन: 2627612, फैक्स:0145-2624665 जालोर कार्यालय :- जी 1/63, इन्डस्ट्रीयल एरिया, फेस प्रथम, जालोर। फोन226422,226423, फैक्स: 02973-226424 हिण्डौनसिटी कार्यालय :- जी -1-201, रीको औद्योगिक क्षेत्र, हिण्डौनसिटी। फोन: 230200, 230400, फैक्स: 07469-230600 चूरू कार्यालय : एच-150, रीको औद्योगिक क्षेत्र, चूरू, फोन : 256906, 256907, फैक्स: 01562-256908